अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई) अजमेर(

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 12/2024

बिरदी देवी पत्नि गुरूदयाल, जाति धोबी उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान हालनिवासी राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान

– प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती शांति पत्नि स्व. श्री गुरूबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री गुरूबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. अमित पुत्र स्व. श्री गुरूबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. आशा पुत्री स्व. श्री गुरूबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. चक्या पुत्री स्व. श्री गुरूबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. गौरी पुत्री स्व. श्री गुरुबक्ष, जाति मेहत्तर, निवासी ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 13/08/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम दादिया, पटवार क्षेत्र दादिया,तहसील अराई जिला अजमेर जिसके खसरा संख्या 413/2938 क्षेत्रफल 0.7281 हैक्टेयर है । प्रार्थीया की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या1 लगायत 6 की कृषि भूमि खसरा नं0 413क्षेत्रफल 0.6957 हैक्टेयर स्थित है तथा उक्त खसरा संख्या 413 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 378 किस्म गे0मु0रास्ता की भूमि स्थित है जो प्रार्थीया की कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु 20फीट रास्ते की आवश्यकता है । जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा संख्या 413 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 5.7.24 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 25.4.25 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि भूमि ग्राम दादिया, पटवार क्षेत्र दादिया,तहसील अराई जिला अजमेर जिसके खसरा संख्या 413/2938 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 413 रकबा 0.6957 हैक्टेयर में से नजरी नक्शा के अनुसार बिन्दु बी से बिन्दु सी कुल 0.0328 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 720936 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 23650/– जिसकी दुगुना राशि 47300/– सेतालिस हजार तीन सो रूपये होगी । वकील

प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः—

—: आदेश :—

1. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की ग्राम दादिया, पटवार क्षेत्र दादिया,तहसील अराई जिला अजमेर जिसके खसरा संख्या 413/2938 में आवागमन के लिये में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 413/2938 में आवागमन ख0नं0 413 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम दादिया, पटवार क्षेत्र दादिया,तहसील अराई जिला अजमेर जिसके खसरा संख्या 413/2938 में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 2751 दिनांक 22.5.2025 के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुचने हेतु 20 फीट चोडा रास्ता क्षेत्रफल 0.0328 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 720936 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार मूल्य 23650/— जिसकी दुगुना राशि 47300/— सेतालिस हजार तीन सो रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0328 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 47300/— सेतालिस हजार तीन सो रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/2751 दिनांक 22.5.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0328 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)